

# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर-15)

(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक : एफ-6( ) उपा.राज.-द्वितीय(सा.प्र.) / ननिज. / 2023 / 1756

दिनांक:- 20/2023

## नीलामी की सूचना

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा दुकानों/कियोस्क की 99 वर्ष की लीज पर निम्नानुसार दिनांक 27.03.23 से दिनांक 29.03.23 तक ई-नीलामी की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क, भागीदारी शुल्क व अमानता राशि ऑनलाईन (प्रति दुकान/कियोस्क) "नगर निगम ग्रेटर, जयपुर" की वेबसाईट [www.jaipurmcgreater.org](http://www.jaipurmcgreater.org) पर बिजनेस रूल्स ([http://www.jaipurmc.org/PDF/Auction2016/NNGJ\\_Business\\_Rules\\_2021FN.pdf](http://www.jaipurmc.org/PDF/Auction2016/NNGJ_Business_Rules_2021FN.pdf)) के अनुसार ऑनलाइन जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं (नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी) तथा अन्य नियम एवं शर्तें भी उपरोक्त बिजनेस रूल्स के अनुसार होगी।

### कार्यक्रम

#### नीलामी प्रक्रिया

ई-ऑक्शन

योजना का नाम:-वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पास जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

#### नीलामी कार्यवाही

दिनांक 27.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे से

दिनांक 29.03.2023 को सायं 6.00 बजे तक

क्र. सं.	योजना का नाम/स्थान	साईज व.फी. (लगभग)	किस्म/ प्रकार	नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दर रुपये
1	WTP के पास 18 दुकानें	10X10	व्यावसायिक	51.00 /-लाख रु. प्रति दुकान
2	WTP के पास 3 कियोस्क हेतु	8X8	व्यावसायिक	27.00 /-लाख रु. प्रति कियोस्क

नोट:- (1) नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीयन शुल्क 1000/-रु. प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। (2) भागीदारी शुल्क रु. 5000/- प्रति दुकान/कियोस्क होगा। (3) अमानता राशि ऑनलाईन जमा कराने की दिनांक 21.02.2023 से दिनांक 29.03.2023 सायं 3.00 बजे तक (4) व्यावसायिक योजना में नीलाम किये जाने वाले समस्त दुकान/कियोस्क वार्षिक शहरी जमाबन्दी, लीज होल्ड बेसिस पर विक्रय होंगे तथा इनकी समयावधि 99 वर्ष होगी। (5) नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा हो जाने पर क्रेता को निर्धारित शुल्क 200/-रु. प्रति दुकान/कियोस्क का साईट प्लान जारी किया जायेगा। (6) भूखण्ड की वार्षिक शहरी जमाबन्दी व्यावसायिक आरक्षित दर का 5 प्रतिशत व.फी. होगी। प्रत्येक 15 वर्ष की उत्तरोत्तर अवधि के अन्त में अथवा भूखण्ड के प्रत्येक बार हस्तान्तरण पर दोहराई जा सकेगी, किन्तु वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (7) क्रेता को शहरी जमाबन्दी की राशि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अग्रिम जमा करानी होगी। समय पर राशि जमा न कराने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। (8) भूखण्ड नीलामी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राज. नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन नियम) 1974 एवं विभागीय आदेशों ओर परिपत्रों के अध्ययधीन होगी। (9) अन्तिम समय के 5 मिनट के दौरान बोली आने पर बोली का समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जायेगा। (10) नीलामी के संबन्ध में निर्णय का अन्तिम अधिकार महापौर एवं आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का होगा। (11) अन्य शर्तें नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की वेबसाईट [www.jaipurmcgreater.org](http://www.jaipurmcgreater.org) पर देखी जा सकती है।

#### महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- उक्त दुकानों/कियोस्क की छत का अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का होगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया में Incremental value न्यूनतम राशि 10,000/- रु. है।

S.No.	Issues	Contact Person	Phone No.
1	Auction Process	Deputy Commissioner Mr. Sohan ram choudhary	9928677977
2	Information Teachnology (IT) Support	Programmer Mr. Pushpenra patidar	6350601180

(सोहन राम चौधरी)

उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय/भू-नीलामी)  
नगर निगम ग्रेटर,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
2. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नीलामी सूचना राज्य स्तर के दो बड़े एवं एक छोटे दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करण के आगामी अंक दिनांक ..... में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें।
3. प्रोग्रामर, ई-गवर्नेंस, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।



उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय/भू-नीलामी)  
नगर निगम ग्रेटर,  
जयपुर